The Indian Stamp (Jharkhand Amendment) Act, 2018

Act 16 of 2019

Keyword(s):
Indian Stamp

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 861 राँची, बुधवार, 30 अक्टूबर, 2019 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

30 अक्टूबर, 2019

संख्या-एल0जी0-28/2018-**293**/लेज0 झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राष्ट्रपति दिनांक-14/10/2019 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन) अधिनयम, 2018

(झारखण्ड अधिनियम- 16, 2019)

भारतीय गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः-

1) संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारंभः- यह अधिनियम भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

2) इसका प्रसार संपूर्ण झारखण्ड में होगा।

3) यह उस तिथि को प्रवृत होगा, जैसा कि राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

4) मूल अधिनियम की धारा 10 (1) निम्न रूप से प्रतिस्थापित की जाएगी।

(10) शुल्क कैसे दिये जाएगें :- (1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सभी शुल्क जिनसे कोई लिखतें प्रभार्य है, संदत्त किये जायेंगे और ऐसा संदाय ऐसे लिखतों पर स्टाम्प अथवा अन्य माध्यम जैसा राज्य सरकार चाहे द्वारा उपदर्शित किया जाएगा -

(क) इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, या

(ख) जहाँ ऐसा कोई उपबंध लागू न हो वहाँ जैसा राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

30 अक्टूबर, 2019

संख्या-एल0जी0-28/2018-**294**/लेज0 झारखंड विधान सभा द्वारा यथा पारित और माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक-**14/10/2019** को अनुमत भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन) अधिनयम, 2018 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The Indian Stamp (Jharkhand Amendment) Act, 2018

(Jharkhand Act- 16, 2019)

An Act be enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Sixty Ninth year of the Republic of India as follows:-

(i) Short Title and extent:- This Act may be called: The Indian Stamp (Jharkhand Amendment) Act, 2018

(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(iii) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette appoint.

(iv) The section 10(1) of the Principal Act, is substituted in the following manner:-

"10. Duties how to be paid- (1) If otherwise not provided in this Act, all duties with which instruments are chargeable, shall be paid and such payment shall be indicated on such instruments, by means of stamps or through any other manner as may be prescribed by the State Government as follows:-

(a) according to the provisions herein contained or

(b) when no such provision is applicable thereto as the State Government may by rule direct."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 861 -- 50